प्रेस नोट-थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक - 30.08.2026

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 522/2026 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए मारपीट की घटना में वांछित 02 अभियुक्ताओं एवं 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.08.2026 को वादी श्री सरजू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सबलापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 522/2026 धारा 191(2)/191(3)/110/131/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा आक्रामक होकर लाठी-डण्डों एवं लोहे की रॉड से उसके पिता पप्पू पुत्र फकीरे के साथ मारपीट की गयी, जिससे वह बेहोश हो गये तथा वादी, उसकी बहन चाँदनी एवं बुआ नन्ही द्वारा बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की गयी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 30.08.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ताओं 1. रीना पत्नी मुनेन्द्र, निवासी ग्राम अहमदाबाद, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली, उम्र करीब 28 वर्ष; 2. रोशनी पत्नी कमल, निवासी मोहल्ला बांके छावनी, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 24 वर्ष तथा अभियुक्त 3. कमल पुत्र बाबूराम, निवासी मोहल्ला बांके छावनी, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 24 वर्ष को समय करीब 12:40 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस का लोप कर धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण को धारा 191(2), 191(3), 105, 131, 115(2) बीएनएस के प्रावधानों से अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. रीना पत्नी मुनेन्द्र, निवासी ग्राम अहमदाबाद, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. रोशनी पत्नी कमल, निवासी मौहल्ला बांके छावनी, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 24 वर्ष।
3. कमल पुत्र बाबूराम, निवासी मौहल्ला बांके छावनी, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 522/2026 धारा 191(2)/191(3)/105/131/115(2) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त कमल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.08.2026 को वह रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ ग्राम सबलापुर स्थित अपनी ससुराल आया हुआ था। शाम के समय ससुराल के

पड़ोस में रहने वाले करण पुत्र छत्रपाल तथा उसके साढ़ू मुनेन्द्र के मध्य शराब के नशे में विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आक्रोशवश मारपीट की घटना घटित हुई।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री गौरव कुमार, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. का0 2323 रोहित यादव, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
3. म0का0 2852 जुली चौधरी, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
4. म0का0 1404 रानी, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।